रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10102020-222355
SG-DL-E-10102020-222355

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2020/आश्विन 17, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 156
No. 209]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2020/ASVINA 17, 1942	[N. C. T. D. No. 156

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा विभाग

सचिवालय (भर्ती एवं पदोन्नति इकाई)

अधिसूचना

दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2020

फा.सं. 9(143)/10/शिक्षा/जीओसी/पार्ट फाइल/1491–98.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68–डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा शिक्षा निदेशालय में उप निदेशक, शिक्षा के पद से संबंधित दिनांक 4 अगस्त 2004 की अधिसूचना संख्या फा. 27(6)/2000– शिक्षा/1335 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप निदेशक, शिक्षा के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप निदेशक, शिक्षा भर्ती नियमावली 2020 कहा जाएगा।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :– उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं आदि :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :– ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की भाक्ति :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. बचाव :– इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	उप निदेशक (शिक्षा)
2.	**पदों की संख्या**	:	76 * (2020) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर–12 (78,800 – 2,09,200/–रूपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं ।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं ।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं ।
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं ।
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अल्पकालिक संविदा सहित ।
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है**	:	पदोन्नति : ग्रेड में एक वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा विभाग द्वारा यथानिर्धारित और प्रायोजित 2–4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर –12 (78,800 – 2,09,200/–रुपये) में प्रधानाचार्य। **टीप – 1**:– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए

			अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित राज्य / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ सांविधिक या स्वायत निकाय/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त संस्थान के अधिकारीः— क. (i) मूल संवर्ग/विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर —11 में पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष। (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वालेः **अनिवार्य :** (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि (II) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एड0 **वांछनीय :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डॉक्ट्रेट की उपाधि । **टीप—1:** भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। **टीप—2:** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य 3. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य 4. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक कि वह विभाग में पदेन सचिव के पद पर न हो — सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से और उनके नाम पर

सुधाकर, उप सचिव

EDUCATION DEPARTMENT

SECRETARIAT (RECRUITMENT AND PROMOTION UNIT)

NOTIFICATION

Delhi, the 8th October, 2020

F. No. 9(143)/10/Edn./GOC/PF/1491 –98.— In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affair's Notification F.No.24/78/68-DH(S) dated 24th September, 1968 and in supersession of Notification No.F.27(6)/2000-Edn./1335 dated 04th August, 2004 in so far as it relates to the post of Deputy Director of Education in the Directorate of Education and anything done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director of Education in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. **Short title and commencement-** (i) These rules may be called the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Deputy Director of Education Recruitment Rules 2020.
   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, its classification and pay level in the pay matrix-** The number of said post, its classification and pay scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in the Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification-** No person,
   (a) Who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;
   shall be eligible for appointment to any of the said posts:
   Provided that Government of National Capital Territory of Delhi, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds of doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax-** Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**No. of Posts.**	**Classification.**	**Level in Pay Matrix.**	**Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director of Education	76* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group-A, Gazetted, Non-Ministerial.	Level 12 (Rs.78800-209200).	Selection	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment Whether by direct or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not Applicable	Not Applicable	By promotion failing which by Deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which Promotion/ deputation/ absorption to be made.	**If a DPC exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
PROMOTION: Principal in level-12 (Rs. 78,800-2,09,200-) in pay matrix with one year regular service in the grade; and successfully completed 2-4 weeks training as prescribed and sponsored by the department. Note: where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **DEPUTATION(ISTC):** Officers from the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Public Sector Undertakings/ Statutory or Autonomous Bodies/ recognized Universities/ recognized Institutes: (A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-11 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/ department; and (B) Possessing the following Educational Qualification and Experience: **Essential:**	**Group 'A' Departmental Promotion Committee:** Chairman / member, Union Public Service Commission - Chairman. Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi – Member. Secretary (Education), Government of National Capital Territory of Delhi - Member. Head of department concerned unless he/she is ex- officio Secretary in the department – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on Deputation (ISTC).

(I) Master's degree of a recognized university. (II)B.Ed. From a recognized university. (III) Ten years experience in the field of education including three years in responsible administrative capacity. **Desirable:** Doctorate degree from a recognised University/Institute . **Note1:** the Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2:** (Period of Deputation (ISTC) including period of deputations (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the central government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).		

By Order and in the Name of Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi

SUDHAKAR, Dy. Secy. (EDUCATION)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM